

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 16/2019 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

नाजिम पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति गूर्जर उम्र 25 वर्ष मालिक एवं विक्रेता ज्ञानी मिष्ठान भण्डार पंचायत समिति के पास बयाना जिला भरतपुर निवासी सीदपुर बयाना जिला भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित :- 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 30.01.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 22.11.2019 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 20.12.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी

गई। नियत दिनांक 30.01.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 13.08.2019 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की फर्म ज्ञानी मिष्ठान भण्डार पंचायत समिति के पास बयाना का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर 9 किग्रा० वनस्पति से निर्मित मीठा घेवर का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 किग्रा० मीठा घेवर 300/—रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-521/एक्ट/2019/534 दिनांक 06.09.2019 द्वारा उक्त मीठे घेवर का नमूना अवमानक स्तर (SubStandard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मीठा घेवर आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोजेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योंकि प्रार्थी काफी समय से घेवर का निर्माण करके विक्रय करता चला आ रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है, जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 13.08.2019 को गैरसायल की दुकान से आमजनता

के विक्रय हेतु संग्रहित मीठे घेवर का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.09.2019 में अवमानक स्तर (SubStandard) प्रकृति का पाया गया है। खाद्य विश्लेषक अलवर की नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 06.09.2019 में **Butyro-refrecometer Reading of extracted fat at 50°C** का मानक 35.5 to 44.0 होना चाहिये था लेकिन 47.4 पाया गया है, **Iodine Value of extracted oil** का मानक 45.0 से 56.0 होना चाहिये था लेकिन 56.97 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाये गये है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर